UPLK010109612021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सत्र वाद सं0 1257 / 2021

सरकार **बनाम** मोहित कश्यप

अ0सं0 170 / 2021
धारा–147,323,324,504506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द,ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–सरोजनीनगर, लखनऊ।

31–03–2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त मोहित कश्यप जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 147, 323, 324, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 19–05–2022 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010109612021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सत्र वाद सं0 1257 / 2021

सरकार **बनाम** मोहित कश्यप

अ0सं0 170 / 2021
धारा–147,323,324,504506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द,ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–सरोजनीनगर, लखनऊ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार–III, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त मोहित कश्यप को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 29.03.2021 समय 01.00 दिन में व उक्त दिनांक को ही समय 05.30 बजे सांय थाना सरोजनीनगर जिला लखनऊ सीमान्तर्गत आजाद नगर चिल्लावा पर वादी मुकदमा अंबिका प्रसाद अतरौलिया के पुत्र रवि अतरौलिया के विरूद्ध आप ने अपने अन्य साथियों के साथ विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और उस जमाव ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में बल एवं हिंसा का प्रयोग किया, इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि दिनांक 29.03.2021 समय 01.00 दिन बजे थाना सरोजनीनगर जिला लखनऊ सीमान्तर्गत आजाद नगर चिल्लावा पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा अंबिका प्रसाद अतरौलिया के पुत्र रवि अतरौलिया को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि दिनांक 29.03.2021 समय 05.30 बजे सांय थाना सरोजनीनगर जिला लखनऊ सीमान्तर्गत आजाद नगर चिल्लावा पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा अंबिका प्रसाद अतरौलिया के पुत्र रवि अतरौलिया को खतरनाक संसधानों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः:यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा अंबिका प्रसाद अतरौलिया के पुत्र रवि अतरौलिया को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया,

जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा अंबिका प्रसाद अतरौलिया के पुत्र रवि अतरौलिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा अंबिका प्रसाद अतरौलिया के पुत्र रवि अतरौलिया को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित करने के आशय से अपमानित व अभित्रस्त किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा अंबिका प्रसाद अतरौलिया के पुत्र रवि अतरौलिया, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 31–03–2023

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 31–03–2023

शैलेन्द्र, आशुलिपिक

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2023.03.31 17:44:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court